सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अज अदालत भु अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन सिटी (नागौर)
पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
आवेदन संख्या 3/2018 (2018/00319)

अपीलांट :–

1. गोगा देवी पुत्री स्व0 भागीरथ पत्नी गंगाराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम भंवरपुरा हाल निवासी ग्राम रावां तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान ।

बनाम

रेस्पोडेंट :–

1. ग्राम पंचायत आनन्दपुरा जरिए सरपंच।
2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आनन्दपुरा।
3. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी (भूमिधारी)।

अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19/01/1983
ग्राम पंचायत आनन्दपुरा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :–प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बोदुराम

दिनांक 23/07/2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम उगरपुरा (नवसृजित ग्राम भंवरपुरा) में स्वर्गीय भागीरथ पुत्र केसा जाति जाट के सहखातेदारी के खेत गत खसरा नं0 26 रकबा 64 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 46 रकबा 43 बीघा, खसरा नं0 46/1 रकबा 2 बिस्वा अवस्थित थे। रिसेटेलमेंट होने पर इन खसरों के नये नम्बर खसरा नं0 625/83 रकबा 1.95 है0, खसरा नं0 626/148 रकबा 1.74 है0 कुल खसरा 2 रकबा 3.69 है0 हो गये एवं उक्त खसरा नम्बरान की भूमि भागीरथ पुत्र केसा के हिस्से में आई एवं उनकी पृथक खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दी गई।

भागीरथ पुत्र केसा का स्वर्गवास हो गया। भागीरथ पुत्र केसा मिताक्षरा हिन्दू लॉ से शाषित होता था इसलिए उसके वारिसान श्रीमती छोटूड़ी (पत्नी), गोगा देवी पुत्री (अपीलान्ट) हुए। इनमें से श्रीमती छोटूड़ी का स्वर्गवास दिनांक 06.12.2017 को हो चुका है। अतः राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के अन्तर्गत अपीलान्ट की उत्तराधिकार से खातेदार को गई एवं आज भी काबिज खातेदार है।

भागीरथ पुत्र केसा के स्वर्गवास के बाद छोटूड़ी पत्नी भागीरथ ने अपने आपको भागीरथ पुत्र केसा का एक मात्र वारिस बताते हुए अपने नाम हल्का पटवारी से मिलकर गलत उत्तराधिकार के आधार पर गलत नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19.01.1983 को अंकित करा लिया एवं ग्राम पंचायत आनन्दपुरा से इसे स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के हक अधिकार तक प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है। उक्त नामान्तकरण से छोटूड़ी को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते।

उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत करने में कानूनी प्रक्रिष नहीं अपनाई गई और न ही ग्राम पंचायत आनन्दपुरा द्वारा भागीरथ पुत्र केसा के वारिसान के संबंध में जांच की गई। केवल मात्र राजनैतिक प्रभाव से छोटूड़ी को भागीरथ को एक मात्र विधिक वारिस बताते हुए विधि विरूद्ध नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो गलत है। इस गलत नामान्तकरण के आधार पर छोटूड़ी को

कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। छोटूड़ी को भी स्वर्गवास हो चुका है एवं उनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने की अपीलार्थी अधिकारी है।

अपीलान्ट स्व0 भागीरथ की विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदार काश्तकार है एवं उसके अधिकार काननून सुरक्षित है। राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन के आधार पर अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित नहीं होते।

छोटूड़ी के स्वर्गवासोपरान्त अपीलांट द्वारा अपने नाम से नामान्तकरण दर्ज करवाने पर हल्का पटवारी से नकलें प्राप्त करने पर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने की जानकारी अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकलें दिनांक 06.07.2018 को प्राप्त की। म्यूटेशन की नकल अपीलांट को दिनांक 06.07.2018 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को फर्जी नामान्तकरण छोटूड़ी के नाम दर्ज होने के तथ्यों की जानकारी हुई।

अपीलार्थी का निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत आनन्दपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19.01.1983 को निरस्त फरमाया जावें एवं ग्राम भंवरपुरा के खसरा नं0 625/83 व खसरा नं0 626/148 की खातेदारी छोटूड़ी पत्नी भागीरथ के स्थान पर अपीलांट के नाम दर्ज फरमाई जावें।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरीये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.07.2018 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 के नोटिस तामिल होकर शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश की, शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद सूचना के गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। वकील अपीलान्ट ने गोगा देवी का शपथ पत्र पेश कर बहस सुनाई। बाद बहस अपीलांट की अपील नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19.01.1983 ग्राम पंचायत आनन्दपुरा के संबंध में अपील पेश कर निरस्त फरमाने का निवेदन किया, वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत आनन्दपुरा ने नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19.01.1983 बिना किसी कानूनी प्रावधान के विरासत का नामान्तकरण भर कर ग्राम पंचायत आनन्दपुरा ने भारी त्रुटी की है अर्थात बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही ग्राम पंचायत ने गैर कानूनी नामान्तकरण करके प्रविष्टि की है उक्त प्रविष्टि आदेश अपास्त करने योग्य है। रेस्पोडेंट सं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की गोगा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भागीरथ राम जाति जाट निवासी भंवरपुरा हाल ग्राम पंचायत उगरपुरा नेट वालो की ढाणी भागीरथ राम के फोत होने पर इकलोती वारिस गोगादेवी थी। भागीरथ राम के कोई जाइंदा पुत्र नहीं था। वकील अपीलांट ने गोगा देवी का शपथ पत्र पेश किया जिसमें भी भागीरथ राम का विधिक वारिस गोगा देवी ही है।

वकील अपीलांट की बहस एवं अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात, रेस्पोडेंट सं0 1 व 2 का जबाब व संलग्न शपथ पत्र आदि का अवलोकन एवं मनन करने पर नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19.01.1983 को जारी किया हुआ है जिसमें भागीरथ राम के फोत होने पर उनकी जाइन्दा पुत्री गोगा देवी का नाम दर्ज होने से रह गया हैं। उक्त गोगा देवी स्वर्गीय भागीरथ राम की जाइन्दा पुत्री है। इसलिये अपीलांट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का नामान्तकरण सं0 207 दिनांक 19.01.1983 विधि विरूध होने से अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पक्षकारान की गुणवागुण सुनवाई कर नामान्तकरण की विधिसम्त कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनॉक 23/7/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)